

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-सलूमबर, (राज.)

क्रमांक : का.आ./2026/33

दिनांक : 01 जुलाई, 2026

-:: कार्यालय आदेश ::-

मैं डॉ. चंद्रप्रकाश पाटीदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सलूमबर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13 (2) व 450 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह जुलाई, 2026** में अग्रवर्णित शासकीय अवकाशों के लिए सलूमबर न्याय क्षेत्र में स्थित न्यायिक न्यायालयों से संबद्ध आरक्षी केन्द्रों से सम्बंधित आवश्यक दायित्व कार्य यथा अभियुक्तगण की रिमाण्ड सम्बंधी कार्य तथा जमानत प्रार्थना-पत्र, सुपुर्दगी, धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के बयान एवं अतिआवश्यक कार्य जैसे-मृत्यु कालीन कथन, मृत्यु समीक्षा (Inquest), प्रोटोकॉल एवं अन्य (जिन्हें अद्योहस्ताक्षरकर्ता तत्समय अतिआवश्यक प्रकृति का निर्धारित करें) का निस्तारण/सुनवाई करने के लिए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को समय 11:00 ए.एम. से 01:00 पी.एम. के लिए अधिकृत करता हूँ-

July, 2026 Remand Duty			
क्र.सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापन	मोबाइल नंबर
1.	05.07.2026 रविवार	श्रीमती ज्योति पुरी A.C.J.M. Salumber	9674120352
2.	11.07.2026 द्वितीय शनिवार 12.07.2026 रविवार	श्री तन्मय जोशी C.J. & J.M. Salumber	9079980282
3.	19.07.2026 रविवार	श्रीमती ज्योति पुरी A.C.J.M. Salumber	9674120352
4.	25.07.2026 चतुर्थ शनिवार 26.07.2026 रविवार	श्री सौम्य कुमार सिंह C.J. & J.M. Sarada	8709964825

नोट :-

- (1) उपर्युक्त वर्णित सारणी के अतिरिक्त, उक्त वर्णित अवकाशों में जिला मुख्यालय, सलूमबर से बाहर के दंडाधिकारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के पदस्थापन क्षेत्र में उपस्थित रहने पर उनकी क्षेत्राधिकारिता में आने वाले आरक्षी केन्द्रों से सम्बंधित उपर्युक्त आवश्यक कार्य उनके स्वयं के द्वारा ही किए जाएंगे।
- (2) उक्त वर्णित अधिकारीगण अपने रिमाण्ड ड्यूटी दिवस पर बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे व न्यायालय समय पश्चात अपने आवास पर रहकर उपर्युक्त कार्य संपादित करेंगे।
- (3) यदि कोई न्यायिक अधिकारी किसी कारणवश अपनी रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहता है अथवा अवकाश पर रहने/मुख्यालय परित्याग करने की प्रस्तावना करता है तो वह अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त रिमाण्ड ड्यूटी निर्वहन किए जाने का सामंजस्य कर तथा सहमति का अपने पत्र में अंकन करके कम से कम 04 दिवस पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे, तो इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
- (4) उपरोक्त अधिकारीगण की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्यदिवस को न्यायालय समय पश्चात् समय से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी। इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से सलूमबर पधारे वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के सलूमबर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद व गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे। रिमाण्ड ड्यूटी के आगामी दिवस पर अवकाश घोषित होने की दशा में उक्त घोषित अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी का सम्पादन उक्त दिवस से पूर्व दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित किए जाने का आदेश अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा।
- (5) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का अनाह्वान हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु पीप कार्ड कारण उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादन की जाएगी।
- (6) समस्त थानाधिकारी अभियुक्त/गण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश करें तथा विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में भी अभियुक्त/गण को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(7) सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु नियत अवकाश दिवस को विशेष रूप से 11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम. तक अपने न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे।

(8) न्यायालय के कार्य दिवस के प्रायिक घण्टों के अवसान के पश्चात् संबंधित पीठासीन अधिकारी ही अपने न्यायालय के रिमाण्ड व जमानत आवेदनों की सुनवाई करेंगे तथा किसी अधिकारी के मुख्यालय परित्याग की स्थिति में लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रिमाण्ड व जमानत आवेदनों की सुनवाई करेंगे।

— sd —

(डॉ. चंद्रप्रकाश पाटीदार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला-सलूम्वर (राज.)

क्रमांक:-स्था./2026/635-645

दिनांक : 01 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई-मेल प्रेषित है -

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जिला-सलूम्वर।
02. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जिला- सलूम्वर।
03. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सलूम्वर
04. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, जिला-सलूम्वर को अधीनस्थ थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमांड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
05. सलूम्वर न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ दंडाधिकारी न्यायालय।
06. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को सहायक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी की ड्यूटी की व्यवस्था हेतु।
07. पुलिस कंट्रोल रूम, जिला-सलूम्वर।
08. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, जिला-सलूम्वर।
09. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह सलूम्वर।
10. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, सलूम्वर को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. आदेश/संबंधित पत्रावली।

(डॉ. चंद्रप्रकाश पाटीदार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला-सलूम्वर (राज.)